प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 30 मार्च, 2016**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0411 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-09608 हजार को अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-खा0प्रा0उ0नी0-3278/बजट/2015-16, दिनांक: 22.03.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि कुल रू0-2.00 करोड़ (रूपया दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किस्त रू0-9608 हजार (रूपये छियानबे लाख आठ हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या-10	**लेखाशीर्षक**	**कोड सं0 /मद का नाम**	**आय-व्यय का प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	5
10	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	20000	9608
		कुल योग -	**20000**	**9608**

(रूपये छियानबे लाख आठ हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने वाली मदों का पूर्ण विवरण स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव इस कार्य हेतु गठित समिति (एस0एल0ई0सी0) के अनुमोदन के उपरान्त समिति की संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) नीति हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव भी इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शासन की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

(5) नीति के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-ए-1285/दस-2012-टी0सी0-11, दिनांक- 29.05.2012 का पूर्णत: पालन किया जायेगा।

(6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च, 2015 में निर्दिष्ट बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत निदेशक, वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-36/2016/369(1)/58-2-2016, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in